08/07/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। पाउ वकीलान [illegible] सुनी जा चुकी। चिन्हित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GOMS
2024/133

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 57/2024 GCMS:-2024/133 दायर दिनांक : 26.02.2024

शंकरलाल पुत्र भोमाराम (फौत) जरिये वारिसान :–

1/1. मूलाराम
1/2. मनफूल
1/3. सोना
1/4. किशना
1/5. पैमादेवी
1/6. मुखराम

पिसरान शंकरलाल अकवाम मेघवाल निवासीयान चक 4 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़

–वादीगण

बनाम

1. चैनाराम
2. गोमती

पुत्र/पुत्री भोमाराम अकवाम मेघवाल निवासीयान चक 4 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़

3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1–2
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद घोषणा व अन्य अनुतोष अन्तर्गत धारा 88 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण सं. 1/1 से 1/6 के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1–2 के पिता भोमाराम के धारण में चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.253 है. [illegible] नं. 218/60 के किला नं. 3–4, 6 से 8, 13 से 16 में 2.277 है. कुल [illegible] है. [illegible] अराजकमाण्ड भूमि बतौर 55 से पूर्व काश्तकार दर्ज चली आ रही है जो कि मूल काश्तकार भोमाराम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसों वादी (वादीगण सं. 1/1 से 1/6 के पिता) शंकरलाल व प्रतिवादीगण सं. 1–2 प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज चली आ रही है, जो कि चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 138/128 से स्पष्ट है। इस भूमि की पूर्व में 15–एएए (3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी जारी की गयी थी, उस समय चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 में 1.00 बीघा व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3–4/2.00 बीघा, 6 से 8/3.00 बीघा, 13 से 16/4.00 बीघा = 9.00 बीघा, कुल 10.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि की खातेदारी अंकित काश्तकार को प्रदान की गई, जबकि पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 1.00 बीघा भूमि की खातेदारी दी जानी चाहिए थी। इस पत्थर के किला नं. 24 की 1.00 बीघा भूमि पर भोमा अथवा वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नहीं था, यह किला वन विभाग का था। अंकित काश्तकार भोमा चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.253 है0 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3–4, 6 से 8, 13 से 16 में 2.277 है0, कुल 2.530 है0 अर्थात 10.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि पर काबिज थे। भोमाराम की मृत्यु उपरान्त दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबन्दी वर्तमान में इसी प्रकार भोमाराम के वारिसान के नाम उक्त भूमि बतौर पूर्व 55 के काश्तकार दर्ज कागजात राज है। वादीगण जमाबन्दी अंकन अनुसार वर्णित भूमि के पूर्व 55 के काश्तकार अंकित हैं व इसी अनुसार घोषणा, बतौर खातेदार, पाने के पात्र हैं, इसलिए खातेदारी सनद दिनांक 26.04.1984 में भोमाराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल को दी गयी खातेदारी घोषणा में भोमाराम को चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 के स्थान पर किला नं. 19 में 0.253 है0 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3–4, 6 से 8, 13 से 16 में 2.277 है0, कुल 2.530 है0 अर्थात 10.00 बीघा का पूर्व 55 का काश्तकार मानकर पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 को कलमजन कर किला नं. 19 में 0.253 है0 अनकमाण्ड दर्ज कर शेष अंकन बदस्तूर मानते हुए 10.00 बीघा अर्थात 2.530 है0 अंकन पूर्व 55 का काश्तकार मानकर भोमाराम को उक्त भूमि का खातेदार मानकर भोमाराम के माध्यम से वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पिता शंकरलाल, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार पूर्व 55 के काश्तकार घोषित किया जाने व शंकरलाल की मृत्यु उपरान्त शंकरलाल के नाम अंकित 1/3 हिस्सा भूमि में शंकरलाल के माध्यम से उनके वारिसान वादीगण सं. 1/1 से 1/6 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा भूमि का 55 से पूर्व का काश्तकार होने से खातेदार घोषित किये जाने व इसी अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने तथा घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया व जवाब प्राप्त किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने जरिये अभिभाषक इकबाल दावा प्रस्तुत किया। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने जवाबदावा प्रस्तुत कर राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

जवाब प्राप्त होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया वादीगण के पिता/दादा भोमाराम पुत्र मघाराम के धारण में मुताबिक जमाबन्दी चक 2 एल.जी.एम. सम्वत् 2073 ता 77 के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.2530 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 218/60 के 3 ता 7, व 13 ता 16 में 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है ? (वादी)

(2) आया वादीगण भोमाराम की मृत्यु उपरान्त बतौर वारिस उक्त भूमि के घोषणा किये जाने के अधिकारी हैं ? (वादी)

(3) आया वादीगण का वाद मृतक भोमाराम इसी प्रकार कब्जा काश्त है ?(वादी)

(4) आया पूर्व 1955 के पट्टे में खातेदारी चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 218/59 में 24 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 16, कुल 2.530 है0 यानि 10.00 बीघा अनकमाण्ड की खातेदारी 15 ए.ए.ए. (क) में गलत दी गयी वादीगण उनके पूर्वजों का पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 के [illegible] 19 पर कब्जा होने से वर्तमान कब्जा अनुसार 15 ए.ए.ए. (क) में [illegible] खातेदारी करवाने के अधिकारी वादीगण हैं ? (वादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

(5) आया वादीगण भोमाराम के खातेदारी 15 ए.ए.ए. (क) में कब्जा अनुसार भोमाराम के माध्यम से उक्त नाम अंकित भूमि खातेदार घोषित होने के पात्र हैं ?

(वादी)

(6) आया वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है व 15 ए.ए.ए. (क) में दी गयी खातेदारी भोमाराम को चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.253 है0 अनकमाण्ड, व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 16, कुल 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि 15 ए.ए.ए. (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वादीगण भोमाराम की भूमि में बतौर वारिस खातेदार घोषित होने के पात्र हैं व पूर्व 1955 के पट्टे में पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 कलमजन करवाकर जमाबन्दी अनुसार चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 की 0.253 है0 अनकमाण्ड व किला नं. 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 16 की 2.530 है0 अनकमाण्ड की हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित होकर अंकन जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकन करवाने के अधिकारी हैं ?

(वादी)

(7) अनुतोष

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। वादीगण की ओर से वादी सं. 1/2 मनफूल का बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। वादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। प्रतिवादीगण सं. 1–2 ने स्वयं के बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये। साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात् बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और वाद–पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि वाके चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 138/128 के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.253 है0 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3, 4, 6 से 8, 13 से 16 में 2.277 है0, कुल 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि वादीगण के स्व. पिता शंकर लाल व प्रतिवादीगण सं. 1–2 प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा भूमि बतौर 55 से पूर्व

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार पक्षकारान का कब्जा काश्त है। इसके मूल काश्तकार भोमा वादीगण सं. 1/1 से 1/6 के पिता शंकरलाल के पिता यानि वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1–2 के पिता भोमा रहे हैं, वे उक्त भूमि के पूर्व 55 के काश्तकार रहे। पूर्व में खातेदारी सनद उनको जारी हुई, किन्तु उसमें पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 की सनद बिना कब्जा जारी की गई। वास्तव में उनका कब्जा काश्त चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 पर था, जबकि सनद किला नं. 24 की दी गयी। किला नं. 24 की 1.00 बीघा भूमि वन विभाग की है, जिसकी जमाबन्दी का भी अवलोकन करवाया। जमाबन्दी वर्तमान दस्तावेजी रिकॉर्ड है, जिसे दस्तावेज माकूल से प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। राज्य पक्ष को घोषणा से किसी प्रकार की हानि न होना बताते हुए वाद वादीगण स्वीकार डिक्री करने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1–2 द्वारा वाद का समर्थन किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

बहस सुनने के पश्चात् तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं. (1) – आया वादीगण के पिता/दादा भोमाराम पुत्र मघाराम के धारण में मुताबिक जमाबन्दी चक 2 एल.जी.एम. सम्वत् 2073 ता 77 के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.2530 है0 अनकमाण्ड व पत्थर नं. 218/60 के 3 ता 7, व 13 ता 16 में 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इसे सिद्ध करने के लिए चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076, जो 2077 से स्थाई है, के खाता सं. 138/128 में अंकित पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.253 है0 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3–4, 6 से 8, 13 से 16 में 2.277 है0 [illegible] 530 है0 अनकमाण्ड भूमि की डिजिटल प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो [illegible] के पिता शंकर लाल व प्रतिवादी सं. 1–2 प्रत्येक [illegible] 1/3 1/3 हिस्सा भूमि आरजी काश्तकार

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व 55 की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पूर्व की जमाबन्दी खाता सं. 6/3 की चित्रप्रति अनुसार यह भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण सं. 1–2 के पिता भोमा वल्द मंघा के नाम आ.का. 1955 से पूर्व की अंकित थी। भूमि पूर्व 55 की पूर्ण रूप से साबित हो रही है। खातेदारी सनद जारी करते समय पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 के स्थान पर किला नं. 24 की सनद जारी कर दी गयी। विवाद मात्र चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 पर है, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में पक्षकारान के नाम अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजी रिकॉर्ड है। पुख्ता साक्ष्य के अभाव में इस बिन्दु को विवादित नहीं किया जा सकता। पत्थर नं. 218/59 का किला नं. 24 वन विभाग के नाम व कब्जा काश्त में है, जो दस्तावेज जमाबन्दी वन विभाग से साबित है। नकल वाद के संलग्न है। अतः इसी अनुसार तनकी नं. 1 दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी वर्तमान के आधार पर पूर्ण रूप से सन्देह से परे सिद्ध होने से बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया वादीगण भोमाराम की मृत्यु उपरान्त बतौर वारिस उक्त भूमि के घोषणा किये जाने के अधिकारी हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इसे सिद्ध करने के लिए वादीगण द्वारा वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 138/128 में अंकित कुल 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि वादीगण के पिता शंकर लाल व प्रतिवादी सं. 1–2 प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा भूमि आरजी काश्तकार पूर्व 55 की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। शंकर लाल की मृत्यु उपरान्त वादीगण द्वारा वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वादीगण शंकर लाल के जायज वारिस हैं। प्रतिवादीगण द्वारा इसे विवादित नहीं किया गया है। तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया वादीगण का व[illegible] मृतक भोमाराम इसी प्रकार कब्जा काश्त है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था, जिसे उन्होंने

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

अपने शपथ–पत्र व जमाबन्दी अंकन से सिद्ध किया है। तनकी नं. 3 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – आया पूर्व 1955 के पट्टे में खातेदारी चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 218/59 में 24 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 16, कुल 2.530 है0 यानि 10.00 बीघा अनकमाण्ड की खातेदारी 15 ए.ए.ए. (क) में गलत दी गयी वादीगण उनके पूर्वजों का पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 के स्थान पर 19 पर कब्जा होने से वर्तमान कब्जा अनुसार 15 ए.ए.ए. (क) में घोषणा खातेदारी करवाने के अधिकारी वादीगण हैं ?

(वादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था, जिसे उन्होंने स्वयं के शपथ–पत्र व जमाबन्दी अंकन से सिद्ध किया है। साथ ही वर्तमान जमाबन्दी अनुसार चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 की 0.253 है0 भूमि का अंकन स्पष्ट वन विभाग के नाम अंकित होना सिद्ध किया गया है। दस्तावेजी रिकॉर्ड को दस्तावेज के माध्यम से ही झूठलाया जा सकता है। जब तक दस्तावेज झूठा सिद्ध नहीं होता, सत्यता की सोच साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दस्तावेज अंकन के साथ जुड़ी है। वादीगण के कथन दस्तावेज जमाबन्दी अंकन से पूर्ण रूप से साबित होते हैं। तनकी नं. 4 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (5) – आया वादीगण भोमाराम के खातेदारी 15 ए.ए.ए. (क) में कब्जा अनुसार भोमाराम के माध्यम से उक्त नाम अंकित भूमि खातेदार घोषित होने के पात्र हैं ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था, जिसे उन्होंने दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबन्दी के अंकन से सन्देह से परे पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। दस्तावेज अंकन अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के पूर्व 55 के काश्तकार अंकित हैं, इसलिए तनकी नं. 5 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. (6) – आया वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है व 15 ए.ए.ए. (क) में दी गयी खातेदारी भोमाराम को चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किला नं. 19 में 0.253 है0 अनकमाण्ड, व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 16, कुल 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि 15 ए.ए.ए. (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वादीगण भोमाराम की भूमि में बतौर वारिस खातेदार घोषित होने के पात्र हैं व पूर्व 1955 के पट्टे में पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 24 कलमजन करवाकर जमाबन्दी अनुसार चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 की 0.253 है0 अनकमाण्ड व किला नं. 3, 4, 6 ता 8, 13 ता 16 की 2.530 है0 अनकमाण्ड की हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित होकर अंकन जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकन करवाने के अधिकारी हैं ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध पूर्व की तनकियों से है। दस्तावेजी रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्धित में पक्षकार पूर्व 55 के काश्तकार अंकित हैं। इसी अनुसार खातेदार घोषित होने के पात्र हैं। प्रश्नगत चक 2 एल.जी.एम. के पत्थर नं. 218/59 का किला नं. 24 स्पष्ट वन विभाग का है। किला नं. 19 वादीगण के नाम अंकित है, इसलिए तनकी नं. 6 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 1 से 6 बहक़ वादीगण निर्णित की जा चुकी है। प्रतिवादीगण ने इकबालदावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से वाद पूर्ण रूप से, सन्देह से परे साबित हो रहा है व वाद स्वीकृति से राज्य हित भी प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 138/128 के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.253 है0 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3–4/0.506 है0, 6 से 8/0.759 है0, 13 से 16/1.012 है0 = 2.277 है0, कुल 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि में शंकर लाल पुत्र भोमाराम के माध्यम से वादीगण सं. 1 [illegible] से [illegible]/6 मूलाराम, मनफूल, सोना, किशना, पैमादेवी, मुखराम [illegible] शंकरलाल [illegible] 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर

क्रमशः ..... पेज 9 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

यानि कुल भूमि में प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्सा का एवं प्रतिवादी सं. 1 चैनाराम पुत्र भोमाराम को 1/3 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 गोमती पुत्री भोमाराम को 1/3 हिस्सा का अन्तर्गत धारा 15–एएए (2–क) सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा मुताबिक घोषणा तहसीलदार सूरतगढ़ को जमाबन्दी में पूर्व अंकन ''आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व'' कलमजन कर वादीगण सं. 1/1 से 1/6 को उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर अर्थात कुल भूमि में 1/18–1/18 हिस्सा प्रत्येक व प्रतिवादीगण सं. 1–2 को 1/3–1/3 हिस्सा प्रत्येक को खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 08.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

शंकरलाल पुत्र भोमाराम (फौत) जरिये वारिसान :–

1/1. मूलाराम
1/2. मनफूल
1/3. सोना
1/4. किशना
1/5. पैमादेवी
1/6. मुखराम

पिसरान शंकरलाल अकवाम मेघवाल निवासीयान चक 4 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़

–वादीगण

बनाम

1. चैनाराम
2. गोमती

पुत्र/पुत्री भोमाराम अकवाम मेघवाल निवासीयान चक 4 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़

3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 57 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1–2 श्री सर्वजीत छाबड़ा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाके चक 2 एल.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 138/128 के पत्थर नं. 218/59 के किला नं. 19 में 0.253 है0 व पत्थर नं. 218/60 के किला नं. 3–4/0.506 है0, 6 से 8/0.759 है0, 13 से 16/1.012 है0 = 2.277 है0, कुल 2.530 है0 अनकमाण्ड भूमि में शंकर लाल पुत्र भोमाराम के माध्यम से वादीगण सं. 1/1 से 1/6 मूलाराम, मनफूल, सोना, किशना, पैमादेवी, मुखराम पिसरान शंकरलाल को 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर यानि कुल भूमि में प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्सा का एवं प्रतिवादी सं. 1 चैनाराम पुत्र भोमाराम को 1/3 हिस्सा का तथा प्रतिवादी सं. 2 गोमती पुत्री भोमाराम को 1/3 हिस्सा का अन्तर्गत धारा 15–एएए (2–क) सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा मुताबिक घोषणा तहसीलदार सूरतगढ़ को जमाबन्दी में पूर्व अंकन "आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व" कलमजन कर वादीगण सं. 1/1 से 1/6 को उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर अर्थात कुल भूमि में 1/18–1/18 हिस्सा प्रत्येक व प्रतिवादीगण सं. 1–2 को 1/3–1/3 हिस्सा प्रत्येक को खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज, ...×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़